न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 88/12 (64/2010) अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. नेतराम पुत्र मनीराम जाति गूजर निवासी भेडन्टी तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल आबाद मौजी की ढाणी तन कांकरिया तह0 बानसूर जिला अलवर ।

:––– अपीलांट

बनाम

1. मु0 धूमा स्त्री स्व0 श्री प्रहलाद जाति गूजर
2. रोहिताश पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जाति गूजर
3. घम्मन पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जाति गूजर
4. धूणा पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जाति गूजर
5. गंगाराम पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जाति गूजर
6. विजय पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद जाति गूजर

   निवासीयान मौजी की ढाणी तन कांकरिया तह0 बानसूर जिला अलवर राजस्थान
7. गजेन्द्र सिंह पुत्र साहब सिंह जाति जाट
8. हेमन्त कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जाट

   निवासीयान ग्राम किशनगढ बसन्त कुंज, नई दिल्ली –110070

:––––– रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बानसूर

दिनांक 26.7.2010

उपस्थित	:-	1.	वकील अपीलांट	:-	श्री अशोक मुदगल
		2.	वकील रेस्पो0	:-	श्री राजाराम

निर्णय दिनांक 16.3.17

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 12/2007 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक 26.7.2010 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मुकदमा नम्बर 47/91 उनवान सरजीत बनाम प्रहलाद न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर द्वारा दिनिांक 5.3.1996 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो गया था,जिसको पुनः नम्बर पर लेने के लिये प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जो विचाराधीन है । प्रार्थी को मृतक सरजीत की चल एवं अचल सम्पत्ति जरिये पंजीकृत वसीयतनामा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है । विवादित आराजी के साथ साथ मृतक सरजीत की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का स्वामी प्रार्थी हो गया । सरजीत की मृत्यु प्रार्थी के नाबालिग अवस्था में हो गई थी । इसलिये मूल वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया था । इसके पश्चात विवादित आराजी खसरा नम्बर 215 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, 216 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, 266 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम कांरिया तहसील बानसूर जिला अलवर मृतक अप्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1/1 लाा0 1/6 के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल आ गया ।इस गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर उक्त [illegible]ान विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया । पत्रावली में संलग्न राजीनामा न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड मुकदमा नम्बर 101/1973 निर्णय दिनांक 10.9.74 में विवादित आराजी के बारे में पक्षकारान के बीच आपसी राजीनामा हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

गया था तथा विवादित आराजी वादी सरजीत के पक्ष में मानी गई थी, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नही दिया । मृतक सरजीत ने प्रार्थी वादी अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.11.90 सम्पादित कर दी थी, जिसके अनुसार सरजीत की समस्त चल एव अचल सम्पत्ति अपीलांट के हक में निहित हो गई है । इस प्रकार धारा 212 के तीनों बिन्दू अपीलांट के पक्ष में साबित है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी के रेस्पो0 संख्या 1 ला0 6 रेकार्डेड खातेदार है और रेस्पो0 संख्या 7 ला0 8 सदभावी केता हैं । कानूनन इनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अपीलांट का विवादित भूमि से कोई लेना देना नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न वसीयतनामा की फोटो प्रति अनुसार मृतक सरजीत ने अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की है । इस वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि में अपीलांट का हक बनता है अथवा नहीं, यह तो मूल वाद में तय होना । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर रहे हैं । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां आराजी का दुव्यर्यन होने, उसे नुकसान पहुंचाने, खुर्द बुर्द करने एवं पक्षकारों में अनावश्यक विवाद बढने की आशंका हो, वहां आराजी के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु निवारक अनुतोष के रूप में यथास्थिति के आदेश दिये जा सकते हैं । चूंकि मूल वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया था और उसे पुनः नम्बर पर लेनें का प्रार्थना पत्र विचाराधीन होना बताया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3.2.2007 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा दिनांक 10.7.2007 को आराजीय बय कर दी गई । ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना की गई है । अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.7.2010 निरस्त किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है आराजी खसरा नम्बर 215 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, 216 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, 266 रकबा 46 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम कांरिया तहसील बानसूर जिला अलवर के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner